

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.—879/2012
 संस्थित दिनांक—05.11.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—परसवाड़ा
 तहसील—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1—तामेश्वर पटले पिता सालिकराम, उम्र 44 वर्ष, जाति पंवार
 साकिन अरडिया थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—पुन्नूसिंह पिता बाबूसिंह उयके, उम्र 36 वर्ष, जाति गोंड,
 साकिन घोड़ादेही थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—जीतू उर्फ जितेन्द्र पिता विष्णु प्रसाद पटले, उम्र 32 वर्ष, जाति पंवार,
 साकिन घोड़ादेही थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

4—पप्पन उर्फ परवेज खान पिता नईम खान, उम्र 30 वर्ष, जाति मुसलमान,
 साकिन बीजाटोला थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

// निर्णय //

(आज दिनांक—03/09/2014 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 353/34, 506 (भाग—2) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—23.08.2012 को दिन के 12:30 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोकस्थान अथवा उसके समीप अस्पताल परिसर परसवाड़ा में फरियादी/आहत डॉक्टर सुनिलसिंह को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे क्षोभ कारित कर, उसे लोकसेवक के रूप में कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोप्रत करने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं उसे संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-23.08.2012 को दिन के 12:30 बजे अस्पताल परिसर में फरियादी डॉक्टर सुनिलसिंह को चिकित्सा अधिकारी के पद पर लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए आरोपीगण ने गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। सभी आरोपीगण ने फरियादी डॉक्टर सुनिलसिंह को उसके कक्ष से बाहर खींचकर मारपीट की। घटना में अन्य लोगों ने फरियादी को आरोपीगण से बचाया। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने लिखित रूप से थाना परसवाड़ा में पेश की, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-85/2012, धारा-353, 294, 506 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने उक्त घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये, आरोपीगण को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा- 294, 353/34, 506 (भाग-2) के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी डॉक्टर सुनिलसिंह ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपीगण के विरुद्ध धारा-294, 506 भाग-दो भा.द.वि. के अपराध का समन किया जाकर शेष धारा-353/34 के अंतर्गत अपराध का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपीगण ने धारा-313 का द.प्र.सं. के अन्तर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फसाया गया होना प्रकट किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-23.08.2012 को दिन के 12:30 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत अस्पताल परिसर परसवाड़ा में फरियादी/आहत डॉक्टर सुनिलसिंह को लोकसेवक के रूप में कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोप्रत करने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत डॉक्टर सुनिलसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना दिनांक-23 अगस्त 2012 को करीब सुबह 11 बजे की है, उस समय वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उस समय आरोपी

पुन्सू सिंह, पवन और जीतू पटले अस्पताल में आये और एक विद्युत कर्मी करेंट से झुलस जाने व उसकी मृत्यु हो जाने को लेकर उसके साथ मारपीट किये। आरोपीगण ने उसे सही उपचार न करने को लेकर उसके साथ हाथ-मुक्के मारपीट किये थे। उक्त घटना के आधे घण्टे बाद आरोपी तामेश्वर आया और उसे भला-बुरा कहा था, लेकिन उसके साथ मारपीट नहीं किया था। घटना के समय अस्पताल के कर्मचारी श्रीश अवधिया, ललित मरकाम एवं अन्य लोगों के द्वारा बीच-बचाव किया गया था। आरोपीगण ने उसे माँ-बहन की गाली भी दिये थे। आरोपीगण ने उसे कोई धमकी नहीं दिये थे। ऐसा नहीं हुआ कि आरोपी तामेश्वर ने भी अन्य आरोपीगण के साथ उक्त मारपीट में सहयोग किया था। घटना के समय वह शासकीय अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी पर था, इस बात को जानते हुए आरोपीगण ने उसके साथ धक्का-मुक्की और गाली-गलौच एवं मारपीट की थी। घटना की लिखित शिकायत उसके द्वारा थाना परवाड़ा में प्रदर्श पी-1 दी गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय अस्पताल में बहुत भीड़ थी, उक्त भीड़ में मारपीट करने वाले लोगों की पहचान पुलिस ने उससे नहीं करायी थी तथा भीड़ में से किन लोगों ने धक्का-मुक्की एवं मारपीट की, वह उन्हें नहीं पहचानता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने दूसरों के कहने पर आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी तथा आरोपीगण में से किसी ने भी उसके साथ धक्का-मुक्की नहीं की और न उसके चेम्बर में घुस कर मारपीट की थी। साक्षी ने उसके मुख्य परीक्षण में किये गये कथन से हटकर व विपरीत कथन अपने प्रतिपरीक्षण में किये हैं। साक्षी के कथन में परस्पर विरोधाभास होने तथा प्रतिपरीक्षण में अभियोजन मामले के विपरीत कथन किये जाने से साक्षी के कथन का अभियोजन को समर्थन प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं फरियादी व आहत होते हुए भी अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

7— ललित मरकाम (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। फरियादी डॉक्टर सुनिलसिंह को जानता है। घटना वर्ष 2012 की है। घटना के समय वह अस्पताल में नहीं था, बाहर चला गया था। उसे घटना के बारे में उसे पता चला था कि उसे डॉक्टर सुनिलसिंह के साथ कुछ लोगों ने हल्ला किया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने

कथित घटना होने से इंकार किया है तथा उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

8— संजय देशमुख (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता। प्रार्थी सुनिलसिंह को जानता है। घटना लगभग देढ़ वर्ष पूर्व दिन के लगभग 11:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा की है। घटना दिनांक को जली हुई गंभीर अवस्था में एक व्यक्ति को ईलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा लेकर आये थे, आहत के साथ काफी लोग आये थे। प्रार्थी सुनिलसिंह के द्वारा ईलाज हेतु आहत को शासकीय अस्पताल बालाघाट रिफर किया गया था। आहत के साथ आये लोगों ने आहत को ले जाने के लिए प्रार्थी सुनिलसिंह से शासकीय वाहन की मांग की थी, जिसे प्रार्थी ने मना कर दिया था। फिर उन लोगों के द्वारा प्राईवेट वाहन से आहत को बालाघाट ले जाया जा रहा था तो आहत रास्ते में मृत हो गया था। उसके बाद कुछ लोगों ने आकर प्रार्थी के साथ वाद-विवाद किया था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथित घटना होने से इंकार किया है तथा उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

9— अनुसंधाकर्ता अधिकारी पुष्पेन्द्र पटले (अ.सा.4) ने थाना प्रभारी के रूप में प्राथमिकी दर्ज करने और विवेचना के दौरान की गई अनुसंधान कार्यवाही के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी की समर्थनकारी साक्ष्य का मामले की प्रकृति एवं परिस्थिति को देखते हुए अधिक महत्व नहीं रह जाता, जबकि स्वयं फरियादी डॉक्टर सुनिलसिंह (अ.सा.1) ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। मामले में अन्य स्वतंत्र साक्षीगण ललित मरकाम (अ.सा.2), संजय देशमुख (अ.सा.3) ने भी अभियोजन मामले का अपनी साक्ष्य में किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षीगण के अलावा अभियोजन ने अन्य किसी साक्षी को समर्थन में पेश नहीं किया है। इस प्रकार मामले में आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में साक्ष्य का अभाव है। इस कारण अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है।

10— उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोपी के विरुद्ध अभियोजन ने युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने दिनांक-23.08.2012 को दिन के 12:30 बजे थाना परसवाड़ा

अंतर्गत अस्पताल परिसर परसवाड़ा में फरियादी/आहत डॉक्टर सुनिलसिंह को लोकसेवक के रूप में कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोप्रत करने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353/34 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

11— आरोपीगण जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट